


जे.पी.आर.5- 844

विद्युत पैकेज संख्या-10, 11 व 12 दिनांक 18.02.2017



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005
फोन नं0 - 0141-2747041, फ़ैक्स नं0 - 0141-2744803
ईमेल - se_comml@yahoo.in

क0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी-1/एफ. /प्रे0 2573 जयपुर, दिनांक- 02/03/2017

संशोधन-आदेश

विषय:- कृषि श्रेणी में बढाई गई बिजली दरों को वापस लेने के संदर्भ में।

कृषि श्रेणी में बढाई गई बिजली दरों को वापस लेने के संदर्भ जारी आदेश क0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी-1/एफ./प्रे0 2588 जयपुर, दिनांक-20.02.2017 (जेपीआर 5-840) में आंशिक संशोधन करते हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश में सामान्य श्रेणी (ब्लॉक सप्लाई) के स्थान पर सामान्य श्रेणी पढा जावें। जिन कृषि उपभोक्ताओं की पूर्व में सामान्य श्रेणी में बिलिंग हो रही है, उन सभी उपभोक्ताओं पर यह आदेश लागू होगा।

आज्ञा से

(के.के. पुरोहित)

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)